बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक : 151548 /

दिनांक : 11 जून, 2013

सं0सं0 : ग्रा0वि0 -7(सा0वा0)-01/2013

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा
सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
सभी उप विकास आयुक्त

विषय : **मनरेगा वृक्षारोपण कार्य हेतु दिशानिदेश (2013-14)**

महाशय,

वृक्षारोपण कार्यों हेतु पर्यावरण एवं वन विभाग राज्य में नोडल विभाग है । ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत मनरेगा में वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है । पर्यावरण एवं वन विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संयुक्त रूप से लिये गये निर्णयानुसार मनरेगा वृक्षारोपण हेतु निम्नवत निदेश दिये जाते हैं :-

(1) राष्ट्रीय उच्च पथ एवं राजकीय उच्च पथ पर वृक्षारोपण का कार्य पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा ही किया जायेगा जैसा कि पूर्व से किया जाता रहा है । मनरेगा से इन पथों पर कोई वृक्षारोपण नहीं होगा ।

(2) पूर्व में ग्रामीण अभियंत्रण संगठन के नाम से नियंत्रणाधीन रहे पथों (जो अब ग्रामीण कार्य विभाग के नियंत्रणाधीन है) पर पथ तट वृक्षारोपण मनरेगा के अंतर्गत किया जायेगा । कार्यान्वयन एजेंसी संबंधित कार्यपालक अभियंता से अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्यत: लेगी ।

(3) जिला स्तर पर यह सुनिश्चित कर लिया जाना होगा कि कोई भी पथ वन भूमि के रूप में अधिसूचित नहीं है ।

(4) ग्रामीण क्षेत्रों में वैसे ग्रामीण कच्ची सड़क जो राजस्व अभिलेख में अंकित एवं नक्शा पर दर्शाया हुआ हो ऐसे पथ तट पर भी वृक्षारोपण मनरेगा के अंतर्गत किया जायेगा । इस संबंध में अंचल कार्यालय से अभिलेखों की संपुष्टि करा ली जायेगी ।

(5) ग्रामीण क्षेत्रों में जहां विद्यालयों, सरकारी भवन एवं प्राथमिक उपचार केन्द्र जो दिवाल से घिरा हो उनमें भी संबंधित संस्था प्रधान की सहमति से वृक्षारोपण हेतु चयनित किया जा सकेगा । ऐसे भवनों में लगाये गये पौधों की संपोषण अवधि के बाद सुरक्षा की जिम्मेवारी संबंधित विद्यालय/सरकारी भवन/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की होगी एवं वृक्षों/परिसंपत्तियों पर संबंधित संस्थान का अधिकार होगा ।

(6) वृक्षारोपण में इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि पौधों की प्रजाति का चयन इस प्रकार किया गया हो कि कम से कम 40% पौधे फलदार प्रजाति के हों, कम से कम 20%

10/6

जैव विविधता से संबंधित प्रजाति के हों तथा अधिकतम 40% काष्ठ प्रजाति के हों । यह अनुपात प्रत्येक 20 पौधों की एक इकाई बनाकर किया जायेगा ताकि वृक्ष संरक्षण योजना में यदि इन्हें सम्मिलित किया जाता है तो आवंटन सुगम हो सके ।

(7) फलदार प्रजाति में प्राथमिकता स्थानीय प्रजाति को दिया जाना चाहिए । जैसे - आम, कटहल, अमरूद, जामुन, शरीफा, ऑवला इत्यादि । जैव विविधता से संबंधित पौधों की मुख्य प्रजातियॉ - बरगद, पीपल, नीम, बकैन, गुल्लर, पाकड़ तथा काष्ठ प्रजाति में शीशम, गम्हार, सागवान, महोगनी इत्यादि है ।

(8) ग्रामीण क्षेत्रों में कराये जाने वाले वृक्षारोपण में 2मी x 2मी की न्यूनतम दूरी रखी जायेगी । विशेष परिस्थिति में यदि प्रजाति विशेष की आवश्यकता हो तो यह दूरी बढ़ायी भी जा सकती है ।

(9) मनरेगा के अंतर्गत अनुमान्य बंधेज एवं शर्तों के अधीन निजी भूमि पर फलदार वृक्षों के वृक्षारोपण को प्रोत्साहन दिया जा सकता है ।

(10)सामान्यत: प्रतिवर्ष प्रत्येक पंचायत के लिए वृक्षारोपण के लिए पौधों की संख्या 2000 पौधे के अंतर्गत ही रखी जाए ।

विश्वासभाजन

(अमृत लाल मीणा)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 151548 / दिनांक : 11/06/2013

प्रतिलिपि : सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 151548 / दिनांक : 11/06/2013

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव